₹7,000 करोड़ से चुकाया जाएगा गन्ना किसानों का बकाया

पैकेज को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शुगर इंडस्ट्री पर किसानों का 22,000 करोड़ रुपये का बकाया

ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली

कैबिनेट ने शुगर इंडस्ट्री के लिए 7000 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है ताकि चीनी मिलों को किसानों के बकाया 22000 करोड़ रुपये चुकाने में मदद मिल सके। कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र की बदहाल कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए नए नियमों को भी मंजूरी दी है। इसमें यह भी पक्का किया गया है कि ऐसी कंपनियों की जमीन के उपयोग में अफोर्डेबल हाउसिंग को वरीयता दी जाए।

सरकार ने मिलों की ओर से बेची जाने वाली चीनी का मिनिमम प्राइस 29 रुपये किलो तय किया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया क्योंकि मौजूदा भाव 28 रुपये किलो है। हालांकि इस्मा ने कहा कि सरकार ने गन्ने का जो भाव तय किया है, उसके मुताबिक एक्स-मिल प्राइस 35 रुपये होना चाहिए।

इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने कहा, 'लिहाजा शुगर इंडस्ट्री यह उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही होगा कि इसके आधार पर भारी-भरकम केन प्राइस एरियर चुका दिया जाएगा।' वहीं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरी के प्रेसिडेंट दिलीप वालसो पाटिल ने कहा कि किसानों के 22,000 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले यह पैकेज 'मामूली' है। देश में चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड 3.19 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि इसकी घरेलू डिमांड 2.5 करोड़ टन है।

चीनी के ग्लोबल प्राइसेज में गिरावट के कारण शुगर इंडस्ट्री को झटका लगा है। कैबिनेट ने एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 4400 करोड़ रुपये के लोन पर पांच साल के लिए 1332 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मंजूर किया। एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ने से गन्ने के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग हो सकेगा। वर्मा ने कहा कि यह 'शानदार कदम' है।

सरकार शुगर मिलों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाकर चीनी की खुदरा कीमतों पर कंट्रोल करने का इंतजाम भी करेगी। इसका इंडस्ट्री ने विरोध किया है। सरकार 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक भी बनाएगी। वहीं, सरकार ने कहा कि बीमार और घाटे में चल रही केंद्र सरकार की कंपनियों को बंद करने की संशोधित गाइडलाइंस से इन कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में हो रही देर घटेगी।

एक अन्य निर्णय में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इलाहाबाद के फाफामऊ में एनएच-96 पर गंगा नदी पर 6 लेन का 9.9 किमी. लंबा पुल 1948.25 करोड़ रुपये में बनाने की मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा किया जाना है। दिसंबर 2021 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

'मामूली' पैकेज

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज के प्रेसिडेंट ने 22,000 करोड़ के बकाया के मुकाबले पैकेज को 'मामूली' बताया

कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र की बदहाल कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए नए नियमों को भी मंजूरी दी है

नियमों में यह भी पक्का किया गया है कि ऐसी कंपनियों की जमीन के उपयोग में अफोर्डेबल हाउसिंग को वरीयता दी जाए

ET
7/6/2018